सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005

क्रमांक– एफ.31( )आउ/आनि/निर्यातक बनों/2021/पार्ट–II दिनांक– 23.07.21

1. महाप्रबन्धक,
   जिला उद्योग केन्द्र,
   (समस्त)।

2. इकाई प्रमुख,
   रीको लिमिटेड,
   (समस्त)।

विषय – राज्य में मिशन "निर्यातक बनो" के क्रियान्वयन हेतु।

संदर्भ – मुख्य सचिव महोदय द्वारा REPCC की बैठक दिनांक–08.07.2021 में लिए दिये गये निर्देशों/निर्णयों की अनुपालना में।

महोदय,

राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु मिशन "निर्यातक बनो" का प्रारम्भ किया गया है। मिशन "निर्यातक बनो" कार्यक्रम के अन्तर्गत नये निर्यातक बनाने से लेकर निर्यातकों द्वारा प्रथम बार निर्यात कराने तक का कार्य किया जायेगा। नये निर्यातक बनाने की प्रक्रिया एवं प्रथम निर्यात प्रेषण कराने में सभी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों एवं रीको के इकाई प्रमुखों की निम्नांकित भूमिका निर्धारित की जाती है –

1. IEC जारी कराने हेतु नवीन निर्यातकों का चयन।
2. नवीन निर्यातकों का चयन करने हेतु सर्वप्रथम पूर्व में स्थापित उद्यमों, व्यापारियों एवं नौजवान युवक से सम्पर्क किया जाना चाहिए।
3. चयनित नवीन निर्यातकों द्वारा IEC के दस्तावेजों सहित ऑन लाईन पंजीयन कराना एवं IEC पंजीयन जारी कराना। इसी के साथ नवीन IEC धारकों का GST पंजीयन भी आवश्यक होगा।
4. नवीन IEC धारक निर्यातकों द्वारा E-Commerce के माध्यम से निर्यात कराने हेतु सम्बन्धित कम्पनियों यथा– Amazon, E-bay आदि के पोर्टल पर पंजीकरण कराना।
5. नवीन IEC धारकों द्वारा निर्यात किये जाने वाली वस्तुओं की फोटोग्राफी, Catalogue तथा अन्य सम्बन्धित प्रक्रियाओं हेतु प्रेरित करना।
6. नवीन निर्यातकों को जारी IEC एवं उनके द्वारा भेजे गये निर्यात Consignments का रिकार्ड संधारित करना एवं इसकी सूचना आयुक्त, उद्योग को प्रति 15 दिन में प्रेषित करना।

राज्य में "मिशन–निर्यातक बनो" के क्रियान्वयन हेतु सर्वप्रथम सभी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र एवं रीको के इकाई प्रमुखों तथा समस्त फील्ड फंक्शनरीज का एक ऑनलाईन प्रशिक्षण दिनांक 27.07.2021 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी को अति–आवश्यक रूप से भाग लेना है ताकि मिशन "निर्यातक बनो" के सफल क्रियान्वयन में कोई समस्या नहीं आये।

वेबसाईट– industries.rajasthan.gov.in, ई-मेल– indrajfo16@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005

उक्त एक दिवसीय Orientation Programme के आयोजन के पश्चात् प्रत्येक सम्भाग मुख्यालयों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सम्भाग स्तर पर ही निर्यातकों का चयन एवं IEC पंजीयन करना प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं इसके पश्चात् सभी जिलों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा।

''मिशन–निर्यातक बनो'' कार्यक्रम में वाणिज्यिक कर विभाग (GST), कार्यालय संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, FIEO आदि के अधिकारीगण द्वारा भाग लिया जायेगा एवं समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना है।

''मिशन–निर्यातक बनो'' के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए प्रचार सामग्री तैयार की गई है जो Soft और Hard Copies आपको प्रेषित की जा रही है। इसके क्रियान्वयन में आपको सभी कार्यालयों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

''मिशन–निर्यातक बनो'' के लिए आपके जिले का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त महत्वपूर्ण मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें।

**संलग्नः– उपरोक्तानुसार।**

भवदीया,

-Sd-

(अर्चना सिंह)
आयुक्त उद्योग

**क्रमांक– एफ.31( )आउ/आनि/निर्यातक बनों/2021/पार्ट–II** दिनांक– 23.07.21

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –**

1. वाणिज्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त।
4. निजी सहायक, सदस्य महोदय, राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद्।
5. संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार, उद्योग भवन, जयपुर–302005
6. महानिदेशक, FIEO निर्यात भवन, नई दिल्ली।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, निर्यात संवर्द्धन परिषद्, ......................
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद्, जयपुर।
9. शाखा प्रबन्धक, ECGC, जयपुर।

**आयुक्त, उद्योग**